रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 870] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 2018/फाल्गुन 14, 1939
No. 870] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 2018/PHALGUNA 14, 1939

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2018

का.आ. 975(अ).—जबकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संकल्प 2397 (2017) को 22 दिसम्बर, 2017 को अपनी 8151वीं बैठक (अनुसूची X) में अंगीकृत किया जिनमें सभी राष्ट्रों से कतिपय उपाय करने की अपेक्षा की गई है;

और जबकि, केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अंतर्गत एक आदेश जारी करना आवश्यक और समीचीन समझती है।

अतः अब, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का.आ. 1549 (ई), दिनांक 15 मई, 2017 के तहत कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के संबंध में सुरक्षा परिषद संकल्प कार्यान्वयन आदेश 2017 दिनांक 21 अप्रैल, 2017 में एतद्वारा आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**.-

(1) इस आदेश को कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (संशोधन) आदेश, 2018 विषयक सुरक्षा परिषद संकल्प का कार्यान्वयन कहा जाएगा।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसे प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होगा।

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य आदेश, 2017 (जिसका इससे आगे उक्त आदेश के रूप में उल्लेख किया गया) के संबंध में सुरक्षा परिषद संकल्प के कार्यान्वयन में,-

(1) पैराग्राफ 2 में, खंड (क) और उससे संबंधित प्रविष्टि को, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:- '(क) "संकल्पों" से आशय है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प, नामतः 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2317 (2017), 2375 (2017) और 2397 (2017)';

2. उक्त आदेश में, पैराग्राफ 3 में,-

(i) उप पैराग्राफ (घ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"(घ) अपने क्षेत्र में स्थित ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और आर्थिक संसाधनों, जिनमें समिति द्वारा नामोदिष्ट जलयान शामिल हैं, पर तत्काल रोक लगाई जाए जो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ऐसे व्यक्तियों या निकायों के स्वामित्वाधीन हैं या उनके द्वारा नियंत्रित है जिनका उल्लेख,

1. एस/2009/364 के भाग 'क' और भाग 'ग' (इस आदेश का परिशिष्ट III);

2. संकल्प 2087 (2013), अनुबंध I और II;

3. संकल्प 2094 (2013), अनुबंध I और II;

4. 17 दिसंबर, 2016 को सुरक्षा परिषद प्रेस विज्ञप्ति एससी/12636 द्वारा यथा संशोधित संकल्प 2270 (2016) का अनुबंध I, II और III (इस आदेश का परिशिष्ट VII);

5. संकल्प 2321 (2016), अनुबंध I और II;

6. संकल्प 2356 (2017), अनुबंध I और II;

7. संकल्प 2371 (2017), अनुबंध I और II में

8. संकल्प 2375 (2017), अनुबंध I और II में; और

9. संकल्प 2397 (2017), अनुबंध I और II में,

अन्य अवैध साधनों सहित कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु संबंधी व्यापक विनाश और बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने या सहायता करने या उनके निर्देश पर उनकी ओर से कार्य करने वाले निकायों या व्यक्तियों के रूप में किया गया है, और यह सुनिश्चित करना कि उनके नागरिकों या अन्य व्यक्तियों या निकायों द्वारा भारत के भीतर कोई निधि, वित्तीय परिसंपत्तियां या आर्थिक संसाधन ऐसे व्यक्तियों या निकायों के लाभार्थ उपलब्ध कराने पर रोक लगे।

टिप्पणी 1: परिसंपत्ति कीलन कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के बाहर ऐसी सभी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों तथा आर्थिक संसाधनों के मामले में लागू होगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सरकार के निकायों अथवा कोरिया की वर्कर्स पार्टी या उनकी ओर से या उनके निर्देशानुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों या निकायों या उनके स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा नियंत्रित ऐसे निकायों के स्वामित्व या नियंत्रण में है जिनके बारे में केंद्र सरकार यह निर्धारित करती है कि वे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु अथवा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों या संकल्प के अंतर्गत प्रतिबंधित अन्य क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं।

टिप्पणी 2: ये उपाय संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 9 और संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 32 में दी गई रियायतों के अध्यधीन हैं;"

(ii). उप पैराग्राफ (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"(ङ) निम्नलिखित में सूचीबद्ध

1. एस/2009/364 के भाग 'ग' (इस आदेश के परिशिष्ट III);

2. संकल्प 2087 (2013), अनुबंध I;

3. संकल्प 2094 (2013), अनुबंध I;

4. संकल्प 2270 (2016), अनुबंध I;

5. संकल्प 2321 (2016), अनुबंध I;

6. संकल्प 2356 (2017), अनुबंध I;

7. संकल्प 2371 (2017), अनुबंध I

8. संकल्प 2375 (2017), अनुबंध I और

9. संकल्प 2397 (2017), अनुबंध I

ऐसे व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का भारत में प्रवेश या पारगमन प्रतिबंधित करना जिन्हें कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु, बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य व्यापक विनाश के आयुध से संबंधित कार्यक्रम की नीतियों का समर्थन करने या उन्हें बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार माना जाता हो, परंतु उपर्युक्त किसी बात के आधार पर केंद्र सरकार अपने नागरिकों का अपने भू-भाग में प्रवेश करने से रोकने के लिए बाध्य नहीं होगी।

टिप्पणीः यात्रा प्रतिबंध संबंधी ये उपाय संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 10 और संकल्प 2094 (2013) के पैराग्राफ 10 में दी गई छूट के अध्यधीन हैं;"

(iii). उप पैराग्राफ (छ), के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"(छ) उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन नागरिकों, व्यक्तियों और उनकी सीमा में या उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन समाविष्ट संस्थाओं को ऐसे जलयानों को बीमा या पुनः बीमा सेवाएं उपलब्ध कराने से रोक लगाएगा, जिनके संबंध में यह मानने के लिए उनके पास तार्किक आधार हैं कि ये जलयान, संकल्पों द्वारा निषिद्ध गतिविधियों या सामग्री के परिवहन में शामिल थे और उक्त प्रावधान बिना किसी अपवाद के लागू होंगे जब तक कि समिति संकल्प 2397 (2017) के पैराग्राफ 11 में दिए गए उद्देश्यों के लिए मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन नहीं करती है;"

(iv) उप-पैराग्राफ (थ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"(थ) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण उसके क्षेत्रों द्वारा या उसके राष्ट्रिकों द्वारा या उनके झंडे वाले वाहनों या वायुयानों का उपयोग करते हुए, और उनके क्षेत्रों से प्रवृत्त होने वाले या नहीं होने वाले, नए हेलीकॉप्टरों और किन्हीं नए या उपयोग किए गए वाहनों से, सिवाय इसके जिसे समिति द्वारा अग्रिम रूप से मामला-दर-मामला आधार पर अनुमोदित किया गया है, की रोकथाम करना;"

(v) उप-पैराग्राफ (ध) के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"(ध) ऐसे किसी जलयान का पंजीकरण रद्द करती है जिनके संबंध में यह मानने के लिए उनके पास तार्किक आधार हैं कि ये जलयान, संकल्पों द्वारा निषिद्ध गतिविधियों या सामग्री के परिवहन में शामिल थे और उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन नागरिकों, व्यक्तियों और उनकी सीमा में अथवा उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन समाविष्ट संस्थाओं पर इसके बाद ऐसे जलयानों को वर्गीकरण सेवाएं उपलब्ध कराने से रोक लगाएगा और आगे समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम रूप से अनुमोदित मामलों के सिवाय इस पैराग्राफ के अनुसरण में अन्य सदस्य राष्ट्र द्वारा पंजीकरण रद्द किए गए जलयान का पंजीकरण नहीं करेंगे;"

(vi) उप-पैराग्राफ (न ट) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"(नट) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को उसके क्षेत्र या उनके नागरिकों द्वारा या उनके झंडे वाले वाहनों, वायुयानों, पाइपलाइनों, रेल लाइनों या वाहनों द्वारा सभी प्रकार के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण और चाहे इनकी यात्रा की शुरुआत उनके क्षेत्र से हुई हो या नहीं, को प्रतिबंधित करना। यह उपाय संकल्प 2397 (2017) के पैराग्राफ 5 में निर्धारित की गई सीमाओं, अपवादों और पद्धतियों के अध्यधीन है;"

(vii) उप-पैराग्राफ (न ठ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"(नठ) कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को उसके क्षेत्र या उनके नागरिकों द्वारा या उनके झंडे वाले वाहनों, वायुयानों, पाइपलाइनों, रेल लाइनों या वाहनों द्वारा सभी प्रकार के कच्चे तेल की आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण और चाहे इनकी यात्रा की शुरुआत उनके क्षेत्र से हुई हो या नहीं, को प्रतिबंधित करना बशर्ते कि यह उपाय 2397 (2017) के पैराग्राफ 4 संकल्प में निर्धारित की गई सीमाओं, अपवादों और पद्धतियों के अध्यधीन हो;"

(viii) उप-पैराग्राफ (न ड) और उससे संबंधित प्रविष्टि के उपरांत निम्नलिखित उप-पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः

"(नड) उसके बंदरगाहों में किसी जलयान की जब्ती, जाँच और रोक लगाना और उसके क्षेत्राधिकार या उसकी समुद्री सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अध्यधीन किसी वाहन की जब्ती, जाँच और रोक लगाना, यदि यह विश्वास करने का तर्कसंगत आधार है कि जलयान या यातायात की मदें क्रियाकलापों में शामिल थीं जो संकल्पों द्वारा प्रतिबंधित है बशर्ते कि यह उपाय संकल्प 2397 (2017) के पैराग्राफ 9 में निर्धारित की गई पद्धतियों के अध्यधीन हो;

(नढ) सभी डीपीआरके नागरिक जो उसके क्षेत्राधिकार में आय अर्जित कर रहे थे और सभी कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के कामगारों की देखरेख कर रहे कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य सरकारी सुरक्षा के सभी अताशों को तत्काल कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य में इस संकल्प के अंगीकार करने की तिथि से चौबीस माह के भीतर देशवापसी कर दी जाए बशर्ते यह अभिनिर्धारण किया जाता है कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य का नागरिक उसके नागरिक हैं या कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के नागरिक हैं जिसकी देशवापसी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अध्यधीन,

जिसमें अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय करार और संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर अभिसमय शामिल है, प्रतिबंधित है;

(नञ) उसके भू-क्षेत्र से अथवा उसके नागरिकों द्वारा अथवा उसके ध्वजयुक्त जलयानों अथवा वायुयानों का इस्तेमाल करके कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से खाद्य एवं कृषि उत्पादों (एचएस कोड्स 12, 08,07), मशीनरी (एचएस कोड्स 84), इलेक्ट्रिकल उपकरण (एचएस कोड 85), मैगनेसाइट और मैगनीसिया सहित मिट्टी और पत्थर (एचएस कोड 25),लकड़ी (एचएस कोड 44) और जलयानों (एचएस कोड 89) चाहे उनका उद्गम कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य से हो रहा हो अथवा नहीं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति, बिक्री अथवा हस्तांतरण को रोका जाए बशर्ते कि इस संकल्प को अंगीकार किए जाने से पूर्व अंतिम रूप दी गई लिखित संविदाओं के संबंध में 2397 (2017) के पैरा 6 में उल्लिखित कार्य प्रक्रियाएं लागू होंगी;

(नप) उनके भू-क्षेत्रों से अथवा उनके नागरिकों द्वारा, अथवा उनके ध्वजयुक्त जलयानों, वायुयानों, पाइपलाइनों, रेल लाइनों अथवा वाहनों, चाहे वे उनके भू-क्षेत्र से चलाए जा रहे हों अथवा नहीं, का इस्तेमाल करके कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को सभी औद्योगिक मशीनरियों (एचएस कोड्स 84 और 85), परिवहन वाहनों (एचएस कोड्स 86 से 89 तक), और लौह, इस्पात एवं अन्य धातुओं (एचएस कोड्स 72 से 83 तक), प्रत्यक्षताः अथवा अप्रत्यक्षताः आपूर्ति, बिक्री अथवा हस्तांतरण को रोका जाए। तथापि यह प्रावधान कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के कॉमर्शियल सिविलियन यात्री विमानों (जिसमें इस समय निम्नलिखित वायुयान मॉडल और टाइप्स शामिल हैं एएन-24 आर/आरवी, एएन- 148- 100बी, II-18 डी, II-62 एम, टीयू- 134बी- 3, टीयू154बी, टीयू- 204- 100 बी, और टीयू- 204-300) के सुरक्षित प्रचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कल-पुर्जों की व्यवस्था के संबंध में लागू नहीं होगा;"

(नफ) सुरक्षा परिषद प्रेस विज्ञप्ति एससी/13023 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 और एससी/13149 दिनांक 28 दिसंबर, 2017 (इस आदेश के परिशिष्ट VIII और IX) में सूचीबद्ध, समिति द्वारा विनिर्दिष्ट जलयानों का अपने बंदरगाहों पर प्रवेश को रोका जाए बशर्ते कि यह उपाय संकल्प 2371 (2017) और 2375 (2017) के पैरा 6 में उल्लिखित छूटों और कार्यप्रक्रियाओं के अध्यधीन हो।"

[फा. सं. एई-102/11(क)2018]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव (डी एण्ड आईएसए)

नोटः मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(ii) में दिनांक 15 मई, 2017 के का.आ. 1549(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और दिनांक 31 अक्तूबर, 2017 के का.आ. 3495(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

"अनुसूची- X

संयुक्त राष्ट्र **एस**/संकल्प/2397 (2017)

सुरक्षा परिषद

वितरणः सभी सदस्य

22 दिसंबर, 2017

संकल्प 2397 (2017)

सुरक्षा परिषद द्वारा 22 दिसंबर, 2017 को अपनी 8151वीं बैठक में अंगीकार

सुरक्षा परिषद,

अपने पिछले संगत संकल्पों अर्थात संकल्प 825 (1993), संकल्प 1695 (2006), संकल्प 1718 (2006), संकल्प 1874 (2009), संकल्प 1887 (2009), संकल्प 2087 (2013), संकल्प 2094 (2013), संकल्प 2270 (2016), संकल्प 2321 (2016), और संकल्प 2356 (2017), संकल्प 2371 (2017), संकल्प 2375 (2017), तथा अपने अध्यक्ष के 6 अक्टूबर 2006 (एस/पीआरएसटी/ 2006/41), 13 अप्रैल 2009 (एस/पीआरएसटी/ 2009/7), 16 अप्रैल 2012 (एस/पीआरएसटी/ 2012/13) और (एस/पीआरएसटी/2017/16) 29 अगस्त, 2017 के वक्तव्यों का *स्मरण करते हुए,*

इस बात की पुनः पुष्टि करते हुए कि प्रचूर मात्रा में परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार तथा उनके प्रक्षेपण के साधन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं,

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य ("डीपीआरके कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य") द्वारा 28 नवंबर, 2017 को संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) और 2375 (2017) का उल्लघंन करके किए गए बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण और ऐसे परीक्षणों से परमाणु अप्रसार संधि ("दि एनटीपी") तथा परमाणु हथियारों के अप्रसार की वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से

अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के समक्ष आने वाली चुनौती और इस क्षेत्र में तथा इसके बाहर शांति और स्थिरता के लिए इनके द्वारा उत्पन्न खतरे पर *गंभीरतम चिंता व्यक्त करते हुए,*

इस बात के महत्व को पुनः रेखांकित करते हुए कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य अपनी जनता की बेहतरी, अंतरनिहित सम्मान और अधिकारों का सम्मान एवं उनकी सुनिश्चितता की आवश्यकता सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अन्य सुरक्षा और मानवीय सरोकारों का सम्मान करे और इस बात पर *अत्यधिक चिंता व्यक्त करते हुए* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य अपनी जनता से बेहद जरूरी संसाधनों को बहुत बड़ी कीमत पर परमाणु शस्त्रों और बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए निरंतर लगाता जा रहा है जबकि उसकी जनता की बहुत-सी मांगें पूरी नहीं हुई हैं,

इस बात को स्वीकार करते हुए कि कोयले, लौह, लौह अयस्कों, सीसा, सीसक अयस्कों, वस्त्रों, समुद्री खाद्य पदार्थों, स्वर्ण, चांदी, धरती से मिलने वाले विरल खनिजों और अन्य प्रतिबंधित धातुओं आदि सहित क्षेत्रीय वस्तुओं के कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के व्यापार की आय तथा अन्य लोगों के साथ विदेशों में रहने वाले कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के कामगारों से मिलने वाले राजस्व से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के परमाणु शस्त्र एवं बैलिस्टिक कार्यक्रम में योगदान मिलता है

इस बात पर *गंभीरतम चिंता व्यक्त करते हुए* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के मौजूदा परमाणु तथा बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित कार्यकलापों ने इस क्षेत्र तथा इससे बाहर के क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर दी है और *इस बात को मानते हुए* कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्पष्ट तौर पर खतरा बना हुआ है,

संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अध्याय VII के अंतर्गत कार्य करते हुए और इसके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत *उपाय करते हुए,*

1. सुरक्षा परिषद के संकल्पों का उल्लंघन और घोर निरादर करते हुए कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य द्वारा 28 नवंबर, 2017 को किए गए बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है;

2. अपने निर्णयों की *पुनः पुष्टि करती है* कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्यौगिकी का उपयोग करके आगे और कोई प्रक्षेपण, परमाणु परीक्षण अथवा अन्य कोई भी उकसाने वाला काम नहीं करेगा; अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्यकलापों को तत्काल स्थगित रखेगा और इस संदर्भ में मिसाइल प्रक्षेपणों के स्थगन संबंधी अपनी पहले की प्रतिबद्धताओं को पुनः स्वीकार करेगा; सभी परमाणु शस्त्रों और मौजूदा परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से, प्रमाणित तरीके से और स्थाई तरीके से तत्काल छोड़ देगा और सभी सम्बद्ध कार्यकलापों को तुरंत बंद करेगा; और व्यापक विनाश के अन्य मौजूदा हथियारों एवं बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का परित्याग कर देगा;

निर्देश

3. *निर्णय करती है* कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (घ) में उल्लिखित उपाय इस संकल्प के अनुबंध I और II में सूचीबद्ध व्यक्तियों और संगठनों तथा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशानुसार काम करने वाले किसी भी व्यक्तियों अथवा संगठनों और अवैध साधनों के जरिए सहित उनके स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रण वाले संगठनों पर भी लागू होंगे और यह *भी निर्णय लेती है* कि संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (ड़) में उल्लिखित उपाय इस संकल्प के अनुबंध I में सूचीबद्ध व्यक्तियों और उनकी ओर से अथवा उनके निर्देशानुसार काम करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे;

आंचलिकः

4. यह *निर्णय लेती है* कि सभी सदस्य राष्ट्र डीपीआरके को अपने भूक्षेत्र से होकर अथवा उनके नागरिकों द्वारा अथवा उनके ध्वज लगे जहाजों, अथवा हवाई जहाजों, पाइप लाइनों, रेलमार्गों अथवा वाहनों का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सभी प्रकार के कच्चे तेल की आपूर्ति, बिक्री या अंतरण पर रोक लगाएंगे, जब तक कि समिति अग्रिम रूप से मामला-दर-मामला आधार पर कच्चे तेल के नौवहन की मंजुरी न प्रदान करे जोकि विशेष तौर पर डीपीआरके के नागरिकों की आजीविका संबंधी जरूरतों के लिए होगा और संकल्प संख्या 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) 2375 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा निषिद्ध डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों अथवा अन्य कार्यकलापों से इनका कोई संबंध न हो; आगे यह भी निर्णय लेती है कि यह रोक उस कच्चे तेल पर लागू नहीं होगा जो इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तारीख से 12 माह तथा उसके बाद 12 माह की अवधि तक कुल 4 मिलियन बैरल या 525000 टन से अधिक न हो और यह भी निर्णय लेती है कि डीपीआरके को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले सदस्य राष्ट्रों को इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रत्येक 90 दिनों के अंतराल पर समिति को इस बाबत रिपोर्ट सौंपनी होगी।

5. यह *निर्णय लेती है* कि सभी सदस्य राष्ट्र डीपीआरके को अपने भूक्षेत्र से होकर अथवा उनके नागरिकों द्वारा अथवा उनके ध्वज लगे जहाजों, अथवा हवाई जहाजों, पाइप लाइनों, रेलमार्गों अथवा वाहनों का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सभी प्रकार के कच्चे तेल जिसमें डीजल तथा केरोसिन तेल शामिल है, की आपूर्ति, बिक्री या अंतरण पर रोक लगाएंगे; निर्णय लेती है कि डीपीआरके इस प्रकार के उत्पादों का प्रापण नहीं करेगा; निर्णय लेती है कि यह प्रावधान डीपीआरके द्वारा

1 जनवरी, 2018 से प्रारंभ करते हुए तथा तत्पश्चात् प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के दौरान 5,000,00 बैरल पेट्रोलियम उत्पादों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण अथवा उनके जहाजों अथवा हवाई जहाजों जिन पर उनके ध्वज लगे हों, चाहे वे उनके भूक्षेत्र से निकले हों अथवा नहीं, पर लागू नहीं होगा बशर्ते (क) कि सदस्य राष्ट्र डीपीआरके को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की इस प्रकार की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण की तिथि से प्रत्येक 30 दिनों पर इस बाबत समिति को सूचित करे जिसके साथ इस लेन-देने के बारे में सभी पक्षकारों को भी सूचित किया जाए (ख) इस प्रकार के परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, बिक्री तथा अंतरण में कोई भी व्यक्ति अथवा कंपनी शामिल नहीं है जो डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों अथवा संकल्प संख्या 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा निषिद्ध कार्यकलापों में शामिल नहीं हैं जिनमें ऐसे अभिनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा कंपनियों अथवा उनकी ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा कंपनियां, अथवा उनके स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित कंपनियां प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, अथवा इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने में सहयोग करने वाले व्यक्ति अथवा कंपनियां शामिल हैं, और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण, विशेष तौर पर डीपीआरके नागरिकों की आजीविका के प्रयोजनार्थ हैं और यह डीपीआरके के परमाणु अथवा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों अथवा संकल्प संख्या 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा निषिद्ध कार्यकलापों के लिए राजस्व सृजन के प्रयोजनार्थ नहीं है; समिति के सचिव को निर्देश देती है कि वह सभी सदस्य राष्ट्रों को यह सूचित करे कि कब 1 जनवरी, 2018 से प्रारंभ करते हुए कुल परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के 75 प्रतिशत हिस्से की कब आपूर्ति, बिक्री की गई अथवा अंतरण किया गया और यह भी सभी सदस्य राष्ट्रों को सूचित करे कि कब कुल पेट्रोलियम उत्पादों का 90 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत हिस्सा पहुंचाया गया है; समिति सचिव को निर्देश देती है कि 1 जनवरी, 2018 से शुरू करते हुए सभी सदस्य राष्ट्रों को सूचित किया जाए कि कब डीपीआरके को वार्षिक 75 प्रतिशत कुल परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति तथा अंतरण किया गया, और समिति सचिव को यह भी निर्देश देती है कि 1 जनवरी, 2018 से शुरू करते हुए सभी सदस्य राष्ट्रों को सूचित किया जाए कि कब डीपीआरके को वार्षिक 90 प्रतिशत कुल परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति तथा अंतरण कब किया गया, और आगे यह भी समिति सचिव को निर्देश देती है कि वह सभी सदस्य राष्ट्रों को यह सूचित करे कि डीपीआरके को दिए जाने वाले 95 प्रतिशत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति अथवा अंतरण कब किया गया और उन्हें यह सूचित किया जाए कि वे वर्ष की शेष अवधि के लिए डीपीआरके को परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण पर तत्काल रोक लगाए; समिति को निर्देश देती है कि वह अपनी वेबसाइट पर डीपीआरके को प्रत्येक माह बेचे गए, आपूर्ति किए गए अथवा अंतरित किए गए परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मात्रा तथा यह लेन-देन करने वाले देश के नाम प्रदर्शित करें; समिति को निर्देश देती है कि वह सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस जानकारी को वास्तविक रूप से अद्यतन करे; सभी सदस्य राष्ट्रों से आह्वान करती है कि वे इस वेबसाइट की नियमित समीक्षा करे ताकि 1 जनवरी, 2018 से प्रारंभ करते हुए इस प्रावधान द्वारा निर्धारित परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक सीमा का अनुपालन किया जा सके; विशेषज्ञों के पैनल को निर्देश देती है कि वह सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा किए जा रहे क्रियान्वयन प्रयासों पर नजर रखे ताकि सहायता दी जा सके तथा संपूर्ण एवं वैश्विक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके; और महासचिव से अनुरोध करती है कि वह इस दिशा में अपेक्षित व्यवस्थाएं करें तथा अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएं;

6. *निर्णय लेती है* कि सभी सदस्य राष्ट्र डीपीआरके को अपने भूक्षेत्र से होकर अथवा उनके नागरिकों द्वारा अथवा उनके ध्वज लगे जहाजों, अथवा हवाई जहाजों, पाइप लाइनों, रेलमार्गों अथवा वाहनों का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से खाद्य तथा कृषि उत्पादों (एचएस कोड 12,08,07), मशीनरी (एचएस कोड 84), विद्युत उपकरण (एचएस कोड 85), मृदा तथा पत्थर जिनमें मैगनेशाइट तथा मैगनीशिया (एचएस कोड 25), लकड़ी (एचएस कोड 44) और जहाजों (एचएस कोड 89) की आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण नहीं करेंगे; और यह कि सभी सदस्य राष्ट्र डीपीआरके से उनके नागरिकों द्वारा उनके ध्वज लगे जहाजों अथवा हवाई जहाजों, चाहे डीपीआरके के अपने भूक्षेत्र से अथवा नहीं, उपरोल्लिखित वस्तुओं तथा उत्पादों के प्रापण पर रोक लगाएंगे, यह भी स्पष्ट करती है कि संकल्प संख्या 2371 (2017) के पैरा 9 में समुद्री खाद्य पदार्थ पर लगाए गए संपूर्ण आंचलिक प्रतिबंध के तहत डीपीआरके को मछली पकड़ने संबंधी अधिकारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बेचने अथवा अंतरित करने पर रोक लगाएगा और आगे यह भी निर्णय लेती है कि डीपीआरके से ऐसी सभी वस्तुओं तथा उत्पादों की बिक्री और लेन-देन डीपीआरके द्वारा जिनके अंतरण, आपूर्ति अथवा बिक्री इस पैरा के तहत निषिद्ध है और जिसके लिए इस संकल्प को स्वीकार किए जाने से पूर्व लिखित संविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है, सभी राष्ट्र अपने भूक्षेत्र में इनके आयात हेतु इनके नौवहन के लिए इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तिथि से केवल 30 दिनों तक अनुमति दे सकते हैं जिसके साथ उन्हें समिति को इस बाबत इनके विवरण सहित इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तिथि से 45 दिनों के पश्चात् सूचित करना होगा;

7. *निर्णय लेती है* कि सभी सदस्य राष्ट्र डीपीआरके को अपने भूक्षेत्र से होकर अथवा उनके नागरिकों द्वारा अथवा उनके ध्वज लगे जहाजों, अथवा हवाई जहाजों, पाइप लाइनों, रेलमार्गों अथवा वाहनों का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, चाहे उनके भूक्षेत्र से निकले हों अथवा नहीं, सभी प्रकार की औद्योगिक मशीनरी (एचएस कोड 84 तथा 85), परिवहन वाहन (एचएस कोड 86, 89 के माध्यम से) और लोहा, स्टील तथा अन्य धातुओं (एचएस कोड 72, 83 के माध्यम से) की बिक्री

अथवा अंतरण पर रोक लगाएंगे और आगे यह भी निर्णय लेती है कि यह प्रावधान उन कल-पुर्जों पर लागू नहीं होगा जो डीपीआरके के वाणिज्यिक नागरिक हवाई जहाजों के सुरक्षित प्रचालन के लिए आवश्यक हो (वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार के एयरक्राफ्ट मॉडल शामिल हैं: एएन-24आर/आरवी, एएन-148-100बी, II-18डी, II-62एम, टीयू-134बी-3, टीयू-154बी, टीयू-204-100बी, और टीयू-204-300);

8. इस बात पर *चिंता व्यक्त करती है* कि डीपीआरके के नागरिक विदेशी निर्यात संबंधी आय के प्रयोजनार्थ अभी तक अन्य देशों में काम कर रहे हैं और यह कि डीपीआरके संकल्प संख्या 2375 (2017) के पैरा 17 को स्वीकार करने के बावजूद अपने निषिद्ध परमाणु तथा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों को समर्थन देना जारी रखे हुए है; निर्णय लेती है कि सदस्य राष्ट्र उनके क्षेत्राधिकार में आय अर्जित करने वाले डीपीआरके के सभी नागरिकों को और विदेशों में डीपीआरके कामगारों की मॉनीटरी करने वाले डीपीआरके के सभी सुरक्षा निरीक्षण अताशे को तत्काल परंतु इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तारीख से 24 माह के भीतर डीपीआरके में देश प्रत्यावर्तित करेंगे, जब तक कि सदस्य राष्ट्र यह निर्धारित न करे कि वह नागरिक उस सदस्य राष्ट्र का नागरिक है अथवा ऐसा डीपीआरके नागरिक है जिसका देश प्रत्यावर्तन प्रयोज्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कानून जिनमें अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय करार तथा संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति अभिसमय शामिल है, के अध्यधीन वर्जित है; और आगे यह भी निर्णय लेती है कि सभी सदस्य राष्ट्र उनके क्षेत्राधिकार में आय अर्जन करने वाले डीपीआरके के सभी नागरिकों के संबंध में इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तारीख से 15 माह की अवधि के भीतर एक मध्यावधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिन्हें इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तारीख से 12 माह के भीतर प्रत्यावर्तित किया गया, जिसके साथ यह स्पष्टीकरण भी देना होगा कि आधे से कम ऐसे डीपीआरके नागरिकों को क्यों 12 माह के अंत तक, यदि लागू हो, प्रत्यावर्तित किया गया, और सभी सदस्य राष्ट्र इस संकल्प को स्वीकार किए जाने की तारीख से 27 माह की अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे।

मालवाहक जलयानों का समुद्री निषेध

9. *गहरी चिंता के साथ यह नोट करती है* कि डीपीआरके भ्रामक समुद्री पद्धतियों के द्वारा अवैध रूप से कोयला तथा अन्य निषिद्ध सामग्री का निर्यात कर रहा है और जलयान से जलयान हस्तांतरण करके अवैध रूप से पेट्रोल प्राप्त कर रहा है और यह निर्णय करती है कि सदस्य राष्ट्र अपने बंदरगाहों में किसी भी जलयान को जब्त करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और उसके इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे और अपनी समुद्री सीमा में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी जलयान को जब्त, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल रोक सकते हैं यदि सदस्य राष्ट्र के पास यह मानने के तार्किक आधार हैं कि वह जलयान संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) या इस संकल्प द्वारा निषिद्ध किसी गतिविधि या सामग्री के परिवहन में शामिल था, सदस्य राष्ट्रों को प्रोत्साहित करती है कि वे जलयानों को जब्त, उनके निरीक्षण और इस्तेमाल पर रोक लगाने पर संबंधित जलयानों के ध्वजचिह्नित राष्ट्रों से परामर्श करें और आगे यह निर्णय करती है कि ऐसे जलयानों को रोक देने की तारीख से छह माह के पश्चात् यह प्रावधान लागू नहीं होगा यदि समिति मामला-दर-मामला आधार पर और ध्वजचिह्नित राष्ट्र के अनुरोध पर यह निर्णय लेती है कि जलयान को भविष्य में इन संकल्पों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।

10. यह *निर्णय लेती है* कि यदि किसी सदस्य राष्ट्र के पास ऐसी सूचना हो जिससे संदेह होता है कि डीपीआरके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अवैध माल की आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण या उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो वह सदस्य राष्ट्र अन्य संगत सदस्य राष्ट्रों से अतिरिक्त समुद्री तथा नौवहन सूचना की मांग कर सकता है जिसमें यह ज्ञात करना भी शामिल है कि क्या संबंधित मद, सामग्री या उत्पाद डीपीआरके से निकले हैं, आगे यह निर्णय लेती है कि ऐसी पूछताछ की जानकारी प्राप्त करने वाले सभी सदस्य राष्ट्र ऐसे अनुरोधों पर एक उपयुक्त तरीके से जितना संभव हो सके, उतना शीघ्र कार्रवाई करेंगे, निर्णय लेती है कि समिति विशेषज्ञों के पैनल के सहयोग से एक त्वरित प्रक्रिया द्वारा सूचना के ऐसे अनुरोधों का समयबद्ध समन्वय करेगी और महासचिव से यह अनुरोध करती है कि इस आशय के लिए आवश्यक व्यवस्था करें और इस संबंध में समिति तथा विशेषज्ञों के पैनल को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएं।

11. संकल्प 2321 (2016) के पैरा 22 की *पुनः पुष्टि करती है* और *निर्णय करती है* कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन नागरिकों, व्यक्तियों और उनकी सीमा में या उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन समाविष्ट संस्थाओं को ऐसे जलयानों को बीमा या पुनः बीमा सेवाएं उपलब्ध कराने से रोक लगाएगा, जिनके संबंध में यह मानने के लिए उनके पास तार्किक आधार हैं कि ये जलयान संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) या इस संकल्प द्वारा निषिद्ध गतिविधियों या सामग्री के परिवहन में शामिल थे, जब तक कि समिति मामला दर मामला आधार पर यह निर्धारित नहीं करती है कि यह जहाज पूर्ण रूप से केवल आजीविका उद्देश्यों जिनका प्रयोग डीपीआरके व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा राजस्व सृजन के लिए नहीं किया जाएगा, या जो मानवतावादी उद्देश्यों से संबंधित गतिविधियों में संलग्न है।

12. संकल्प 2321 (2016) के पैरा 24 की *पुनः पुष्टि करती है* और *निर्णय लेती है* कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम रूप से अनुमोदित मामलों के सिवाय ऐसे किसी जलयान का पंजीकरण रद्द करेगा जिनके संबंध में यह मानने के लिए उनके पास तार्किक आधार हैं कि ये जलयान संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) या इस संकल्प द्वारा निषिद्ध गतिविधियों या सामग्री के परिवहन में शामिल थे और उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन नागरिकों, व्यक्तियों और उनकी सीमा में अथवा उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन समाविष्ट संस्थाओं को इसके बाद ऐसे जलयानों को वर्गीकरण सेवाएं उपलब्ध कराने से रोक लगाएगा और आगे यह निर्णय लेती है कि सदस्य राष्ट्र समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम रूप से अनुमोदित मामलों के सिवाय इस पैराग्राफ के अनुसरण में अन्य सदस्य राष्ट्र द्वारा पंजीकरण रद्द किए गए जलयान का पंजीकरण नहीं करेंगे।

13. इस बात पर *चिंता व्यक्त करते हुए* कि डीपीआरके ध्वजचिह्नित, नियंत्रित, प्राधिकृत या प्रचालित जलयान अपने पूर्ण गतिविधि विवरण को छिपाने के लिए स्वचालित पहचान प्रणालियों को चलाए रखने की आवश्यकताओं की जानबूझकर अवज्ञा करते हैं और सदस्य राष्ट्रों से यह आवाह्न किया कि वे संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) या इस संकल्प द्वारा निषिद्ध गतिविधियाँ करने वाले ऐस जहाजों के संबंध में सतर्कता बढ़ाएं।

14. संकल्प 2321 (2016) के पैरा 30 का *स्मरण करती है* और यह *निर्णय लेती है* कि सभी सदस्य राष्ट्र समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अग्रिम में अनुमोदित मामलों के सिवाय उनकी सीमा से या उनके नागरिकों द्वारा, अथवा उनके ध्वजचिह्नित जलयानों या वायुयानों का प्रयोग करके, और किसी भी नए अथवा पुराने जलयानों से, चाहे वे उनके अधिकार क्षेत्र से चलते हों या नहीं, डीपीआरके को कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण करने से रोकेंगे।

15. *निर्णय करती है* कि यदि किसी सदस्य राष्ट्र के पास उनकी सीमा में या गहरे समुद्र में देखे गए ऐसे किसी जलयान की संख्या, नाम और रजिस्ट्री संबंधी सूचना है जिसे संकल्प 1718 (2006) के पैरा 8 (घ) द्वारा अधिरोपित परिसंपत्तियाँ रोकने, संकल्प 2321 (2016) के पैरा 12 द्वारा अधिरोपित बंदरगाह प्रवेश प्रतिबंध, या इस संकल्प में संगत उपायों के अध्यधीन सुरक्षा परिषद द्वारा या समिति द्वारा नामोदिष्ट किया गया है, तो सदस्य राष्ट्र समिति को इस सूचना के संबंध में और ऐसे जलयानों का निरीक्षण करने, परिसंपत्तियाँ रोकने और जब्त करने या संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) या इस संकल्प के संगत प्रावधानों द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई के लिए किए गए उपायों के संबंध में सूचित करेंगे।

16. *निर्णय लेती है* कि इस संकल्प के प्रावधान केवल रूस-डीपीआरके के रजिन-खासन बंदरगाह और रेल परियोजना के माध्यम से अन्य देशों को रूस से निकलने वाले कोयले को पोत से ले जाने के संबंध में लागू नहीं होंगे, जैसा कि संकल्प 2371 (2017) के पैरा 8 और संकल्प 2375 (2017) के पैरा 18 द्वारा अनुमत है।

प्रतिबंधों का कार्यान्वयन

17. यह *फैसला करता है* कि सदस्य देश इस संकल्प का अंगीकरण किए जाने के नब्बे दिनों के भीतर सुरक्षा परिषद् को इसकी रिपोर्ट करेंगे, और उसके पश्चात् समिति के अनुरोध पर, इस संकल्प के प्रावधानों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने के क्रम में किए गए ठोस उपायों पर अन्य संयुक्त राष्ट्र अनुवीक्षण दल के सहयोग से विशेषज्ञों के पैनल से ऐसे रिपोर्टों को समयबद्ध तरीके से तैयार करने और प्रस्तुत करने में सदस्य देशों को सहायता करने के अपने प्रयास जारी रखने के लिए अनुरोध करते हैं:

18. संकल्पों 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) तथा इस संकल्प में युक्त उपायों को पूरी तरह कार्यान्वित के प्रयासों को पुनः दोगुना करने और ऐसा करने में एक-दूसरे का सहयोग करने के लिए सभी सदस्य देशों से आवाह्न करता है, विशेष तौर पर उन मदों के निरीक्षण, जाँच और जब्त किए जाने के संबंध में जो इन संकल्पों द्वारा प्रतिबंधित हैं:

19. यह *फैसला करता है* कि संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 12 में निर्धारित समिति के अधिदेश इस संकल्प में शामिल उपायों के संबंध में लागू होंगे और आगे यह फैसला करता है कि संकल्प 1874 (2009) के पैराग्राफ 26 में निर्दिष्ट और संकल्प 2345 (2017) के पैराग्राफ 1 में परिवर्तित विशेषज्ञों के पैनल के अधिदेश भी इस संकल्प में शामिल उपायों के संबंध में लागू होंगे;

20. सभी सदस्य देशों को प्राधिकृत करने का और यह *फैसला करता है* कि सभी सदस्य देश संकल्पों 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) अथवा इस संकल्प द्वारा प्रतिबंधित मदों की आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण अथवा निर्यात के लिए इन मदों को जब्त तथा उनकी बिक्री कर सकता है (जैसे कि उसे नष्ट करके, उसे निष्क्रिय करके अथवा अनुपयोगी बनाकर, भंडारण, अथवा उनके मूल देश या भेजे जाने वाले गंतव्य देशों से इतर देशों में इसे हस्तांतरित करके), अथवा इस संकल्प के द्वारा निरीक्षणों में इस प्रकार से रेखांकित कि संकल्प 1540 (2004), साथ-साथ एनपीटी के पक्षकारों द्वारा प्रदत्त कोई भी दायित्वों, रासायनिक हथियारों

के विकास, उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल के निषेध पर अभिसमय और 29 अप्रैल, 1997 के उनके विकास पर अभिसमय और जैविक एवं टॉक्सिन हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण के निषेध पर अभिसमय तथा 10 अप्रैल, 1972 को उनको नष्ट किए जाने सहित सुरक्षा परिषद संकल्पों के तहत लागू उनके दायित्वों के अनुरूप न हो इस तरीके से;

21. डीपीआरके सहित सभी देशों के महत्व पर बल देते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करते हुए कि डीपीआरके, अथवा संकल्पों 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) अथवा इस संकल्प में निर्धारित उपायों हेतु नियुक्त संस्थाओं अथवा कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के लाभ के लिए अथवा के माध्यम से किसी अनुबंध अथवा अन्य लेन-देन के संबंध में दावा करता हो, जहाँ इसके निष्पादन को इस संकल्प अथवा पूर्व के संकल्पों के द्वारा लागू उपायों के कारण से रोका गया हो के कहने पर कोई दावा न हो;

22. इस बात पर *बल देती है* कि संकल्प 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) और इस संकल्प में दिए गए उपाय राजनयिक तथा कोंसुली संबंधों पर वियना अभिसमय के अनुसरण में राजनयिक या कोंसुली मिशनों के कार्यकलापों को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करेंगे।

राजनीतिक

23. डीपीआरके की जनता द्वारा झेली जा रही गंभीर परेशानियों पर अपनी गहरी चिंता को *दोहराती* है, डीपीआरके के द्वारा अपने लोगों के कल्याण के बजाय परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों को आगे बढ़ाए जाने की निंदा करती है क्योंकि डीपीआरके की जनता की आवश्यकताएं अधूरी हैं और इस बात पर *बल देती* है कि डीपीआरके की जनता का कल्याण और उनकी अंतर्निहित गरिमा का सम्मान सुनिश्चित किया जाना ज्यादा आवश्यक है; और यह मांग करती है कि डीपीआरके अपनी जनता को दाव पर लगाकर अपने दुर्लभ संसाधनों को परमाणु हथियार तथा बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में लगाना बंद करे।

24. डीपीआरके द्वारा उनके अपर्याप्त संसाधनों को बड़े तौर पर परमाणु हथियारों के विकास और कई मंहगी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों की ओर खर्च किए जाने पर *खेद व्यक्त* करती है, मानवीय सहायता के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निष्कर्षों को *नोट* करती है कि डीपीआरके की आधी से अधिक आबादी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराती महिलाएं और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्हें कुपोषण का शिकार होने का खतरा रहता है सहित खाद्य तथा चिकित्सा देखरेख में बड़ी असुरक्षाओं से जूझ रही है और कुल आबादी का 41% कुपोषण से जूझ रहा है और इस संदर्भ में डीपीआरके की जनता द्वारा झेली जा रही गंभीर कठिनाइयों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है;

25. इस बात की *पुनः पुष्टि करती है* कि संकल्प 1718 (2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016), 2321(2016), 2356(2017), 2371 (2017) 2375(2017) और इस संकल्प के द्वारा लगाए गए उपायों का उद्देश्य डी पी आर के की नागरिक आबादी के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालना अथवा उन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालना अथवा ऐसे कार्यकलापों, जिनमें आर्थिक कार्यकलाप उन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना नहीं है, जिन्हें संकल्पों 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016), 2321(2016), 2356(2017), 2371 (2017) और इस संकल्प के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है और डी पी आर के के नागरिकों के लाभार्थ अंतर्राष्ट्रीय और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा डी पी आर के में चलाई जा रही सहायता एवं राहत गतिविधियों को भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है और यह निर्णय करता है कि यदि समिति यह निर्धारित करती है कि डी पी आर के में ऐसे संगठनों के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे छूट आवश्यक हैं अथवा इन संकल्पों के उद्देश्यों के साथ किसी अन्य प्रयोजनार्थ इसे उपयुक्त पाती हैं तो समिति मामला दर मामला आधार पर इन संकल्पों द्वारा लागू उपायों से किसी भी गतिविधि को छूट प्रदान कर सकती हैं।

26. सिक्स पार्टी वार्ता हेतु अपने सहयोग की *पुनर्पुष्टि करता है*, उनके पुनरारंभ किए जाने हेतु आह्वान करता है और चीन, डी पी आर के जापान, कोरिया गणराज्य, रूसी परिसंघ और अमेरिका द्वारा 19 सितंबर 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य में निर्धारित की गई प्रतिबद्धताओं हेतु अपने सहयोग को दोहराता है, इसमें सिक्स पार्टी वार्ता के लक्ष्य कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांतिपूर्ण तरीके से सत्यापनीय डीन्यूक्लियराइजेशन तथा एनपीटी के पक्षकार राष्ट्रों के अधिकार एवं दायित्वों को ध्यान में रखते हुए और एनपीटी के सभी पक्षकार राष्ट्रों को संधि संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता को निर्धारित करते हुए डीपीआरके की अप्रसार संधि (एनपीटी) और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी रक्षोपायों में जल्द वापसी और यह कि अमेरिका और डी पी आर के एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और एक साथ शांतिपूर्ण तरीकेसे मौजूद रहेंगे भी शामिल था कि सिक्स पार्टियों ने आर्थिक सहयोग तथा अन्य सभी उपयुक्त प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

27. कोरियाई प्रायद्वीप और उत्तर पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को *दोहराता है*, इस स्थिति की शांतिपूर्ण, राजनयिक और राजनीतिक समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता *व्यक्त करता है* और बातचीत के माध्यम से एक शांतिपूर्ण एवं व्यापक समाधान की सुविधा के लिए परिषद के सदस्यों के साथ-साथ अन्य देशों के प्रयासों का

स्वागत करता है और कोरियाई प्रायद्वीप एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में तनाव को कम किए जाने हेतु कार्य दिए जाने के महत्व पर बल देता है।

28. यह *पुष्टि करता है* कि यह डी पी आर के की गतिविधियों को लगातार समीक्षाधीन रखेगा और डी पी आर के के अनुपालन को देखते हुए यथापेक्षित उपायों को सुदृढ़, परिवर्तित, आस्थगित अथवा हटाएगा, और इस संदर्भ में यह डी पी आर के द्वारा आगे किए जाने वाले परमाणु प्रक्षेपण अथवा लांच के क्रम में आगे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने के प्रति अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया; और यह निर्णय लिया कि यदि डीपीआरके और कोई परमाणु परीक्षण करता है अथवा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण करता है जिसमें अंतरमहाद्विपीय सीमा तक पहुंचने की क्षमता से अथवा ऐसी सीमा तक पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के विकास में योगदान करता है तो सुरक्षा परिषद डीपीआरके को आगे पेट्रेलियम निर्यात रोकने का कदम उठाएगी;

29. इस मामले की जानकारी लेते रहने का निर्णय लिया।

अनुबंध – I

यात्रा प्रतिबंध/परिसंपत्ति फ्रीज (व्यक्ति)

1. चोई सो के मिन

(क) विवरणः चोई सो के मिन विदेशों में फोरन ट्रेड बैंक का एक प्रतिनिधि है। 2016 में चोई सो के मिन उस विदेश स्थित में फोरेन ट्रेड बैंक के शाखा कार्यालय में उपप्रतिनिधि थे। वह विदेशों में स्थित उस फोरन ट्रेड बैंक से उत्तर कोरिया विशेष संगठनों की बैंकों तथा विदेश में स्थित रिकोनसेंस जनरल ब्यौरों के गुरगो को नकदी भेजता था ताकि इस प्रतिबंध से बचा जा सके।

(ख) उर्फः उपलब्ध नहीं

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 25 जुलाई, 1978; राष्ट्रीयताः डीपाआरके; लिंगः पुरुष

2. चाऊ हयो के

(क) विवरणः चाऊ हयो के एक उत्तरकोरियाई नागरिक हैं जो विदेशों में फोरेन ट्रेड बैंक का एक प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः चू ह्योक

(घ) पहचानकर्ताः जन्मतिथि 23 नवंबर, 1986, पासपोर्ट संख्याः 836420186, 28 अक्टूबर, 2016 को जारी, 28 अक्टूबर, 2021 को समाप्त; नागरिकताः डीपाआरके; लिंगः पुरुष

3. किम जोंग सिक

(क) विवरणः डीपीआरके के डब्ल्यू एमडी विकास प्रयासों का मार्गदर्शन करने वाला एक प्रमुख अधिकारी। कोरिया म्यूनिशन्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट के वर्कर्स पार्टी के उपनिदेशक के रूप में सेवारत।

(ख) उर्फः किम चोंग सिक

(ग) पहचानकर्ताः जन्म वर्षः 1967 तथा 1969 के बीच, नागरिकताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष, पताः डीपीआरके

4. किम क्योंग इल

(क) विवरणः किम क्योंग II लीबिया में फॉरेन ट्रेड बैंक का उप मुख्य प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः किम क्योंग-इल

(ग) पहचानकर्ताः स्थानः लीबिया; जन्मतिथिः 01 अगस्त, 1979; पासपोर्ट सं. 836210029; राष्ट्रीयताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष

5. किम तोंग चोल

(क) विवरणः किम तोंग चोल विदेशों में फॉरेन ट्रेड बैंक का एक प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः किम तोंग चोल

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 28 जनवरी 1966 , राष्ट्रीयताः डीपीआरकेः लिंगः पुरुष

6. को चोल मन

(क) विवरणः को चोल मन विदेशों में फॉरन ट्रेड बैंक का एक प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः किम चोल-मन

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 30 सितंबर 1967; पासपोर्ट सं. 472420180; राष्ट्रीयताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष

7. कू जा ह्योंग

(क) विवरणः कू जा ह्ययोंग लीबिया में फॉरन ट्रेड बैंक का मुख्य प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः कू जा ह्ययोंग

(ग) पहचानकर्ताः स्थान लीबिया; जन्मतिथिः 08 सितंबर 1957; राष्ट्रीयताःडीपीआरके; लिंगः पुरुष।

8. मन क्योंग ह्वान

(क) विवरणः मन क्योंग ह्वान विदेशों में बैंक ऑफ ईस्ट लैंड का प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः मन क्योंग ह्वान

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 22 अगस्त 1967; पासपोर्ट सं. 381120660; 25 मार्च 2016 को समाप्त; राष्ट्रीयताःडीपीआरके; लिंगः पुरुष

9. पाए वॉन उक

(क) विवरणः पाए वॉन उक विदेशों में डाएसॉग बैंक का प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः पाए वॉन-उक

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 22 अगस्त 1969; नागरिकताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष; पासपोर्ट सं. 472120208; 22 फरवरी 2017 को समाप्त

10. पाक बोंग नाम

(क) विवरणः पाक बोंग नाम विदेशों में इलसिम इंटरनेशनल बैंक में एक प्रतिनिधि हैं।

(ख) उर्फः लुई वाई मिंग; पाक पोंग नम; पाक पॉग-नाम

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 06 मई 1969; राष्ट्रीयता डीपीआरके; लिंग पुरुष

11. पाक मुन इल

(क) विवरणः पाक मुन इल कोरिया डाएसॉग का एक प्रवासी अधिकारी है।

(ख) उर्फः पाक मुन-इल

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथि 01 जनवरी, 1965; पासपोर्ट सं. 563335509; 27 अगस्त 2018 को समाप्त; राष्ट्रीयताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष

12. री चुन ह्वान

(क) विवरणः री चुन ह्वान विदेशों में फॉरेन ट्रेड बैंक का प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः री चुन- ह्वान

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 21 अगस्त 1957; पासपोर्ट सं. 563233049 09 मई 2018 को समाप्त; राष्ट्रीयताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष

13. री चुन सॉग

(क) विवरणः री चुन सॉग विदेशों में फॉरेन ट्रेड बैंक का प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः री चुन सॉग

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 30 अक्टूबर 1965; पासपोर्ट सं. 654133553 11मार्च 2019 को समाप्त; राष्ट्रीयताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष

14. री प्योंग चुल

(क) विवरणः कोरिया के वर्कर्स पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के ऑल्टरनेट मेंबर तथा म्यूनीशनस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पहले वाइस डायरेक्टर।

(ख) उर्फः री प्योंग चुल

(ग) पहचानकर्ताः जन्मवर्षः 1948; राष्ट्रीयताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष; पताः डीपीआरके।

15. री सॉग ह्योक

(क) विवरणः री सॉग ह्ययोक कोरिया बैंक तथा कोरिया क्रेडिट डेवलपमेंट बैंक के लिए एक प्रवासी प्रतिनिधि है तथा कथित रूप से उत्तरी कोरिया की ओर से वित्तीय लेन-देन करने और सामान खरीदने के लिए मुखौटा कंपनियों की स्थापना कर रखी है।

(ख) उर्फः ली चेंग ही

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 19 मार्च 1965; राष्ट्रीयताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष;

16. री उन सॉंग

(क) विवरणः री उन सॉग विदेशों में कोरिया यूनिफिकेशन डेवलेपमेंट बैंक का प्रतिनिधि है।

(ख) उर्फः री इउन सॉग; री उन सॉग

(ग) पहचानकर्ताः जन्मतिथिः 23 जुलाई 1969; राष्ट्रीयताः डीपीआरके; लिंगः पुरुष;

अनुबंध-II

परिसंपत्ति की लेन-देन पर रोक (संस्थाएं)

1. मिनिस्ट्री ऑफ द पीपल्स आर्मड फोर्सिस (एमपीएएफ)

(क) विवरणः मिनिस्ट्री ऑफ द पीपल्स आर्मड फोर्सिस कोरियाई पीपल्स आर्मी के सामान्य प्रशासनिक तथा संभारतंतत्रीय आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है।

(ख) स्थानः प्योंगयांग, डीपीआरके"

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2018

S.O. 975(E).—Whereas the Security Council of the United Nations adopted Resolution, 2397 (2017) on 22nd December, 2017 at its 8151st meeting (Schedule X) under Chapter VII of the Charter of the United Nations requiring all States to take certain measures;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolution of the Security Council adopted under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Implementation of Security Council Resolution on Democratic People's Republic of Korea Order, 2017, dated the 21st April 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1549(E), dated the 15 May 2017, namely:-

1. **Short title and commencement**.-

(1) This Order may be called the Implementation of Security Council Resolution on Democratic People's Republic of Korea (Amendment) Order, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

In the Implementation of Security Council Resolution on Democratic People's Republic of Korea Order, 2017(herein after referred to as the said Order)in paragraph 2, for clause (a) and the entry relating thereto, the following shall be substituted namely:-

'(a) "Resolutions" mean the United Nations Security Council Resolutions under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Democratic People's Republic of Korea, namely, 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) and 2397(2017)' ;

2. In the said order, in paragraph 3,-

(i) for sub-paragraph (d), the following shall be substituted, namely:-

"(d) freeze immediately the funds, other financial assets and economic resources, including vessels designated by the Committee, which are on its territories, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities set out in,

1. Part A and Part C of S/2009/364 (Appendix III to this Order);

2. Annex I and II of Resolution 2087 (2013);

3. Annex I and II of Resolution 2094 (2013);

4. Annex I, II and III of Resolution 2270 (2016), as amended by Security

Council Press Release SC/12636 of 17 December 2016 (Appendix VII

to this Order);

5. Annex I and II of Resolution 2321 (2016);

6. Annex I and II of Resolution 2356 (2017);

7. Annex I and II of Resolution 2371 (2017);

8. Annex I and II of Resolution 2375 (2017; and

9. Annex I and II of Resolution 2397 (2017),

as being engaged in or providing support for, including through other illicit means, Democratic People's Republic of Korea's nuclear-related, other weapons of mass destruction-related and ballistic missile-related programmes, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, and ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by its nationals or by any persons or entities within India, to or for the benefit of such persons or entities.

Note 1: The asset freeze shall apply to all the funds, other financial assets and economic resources outside of the Democratic People's Republic of Korea that are owned or controlled, directly or indirectly, by entities of the Government of the Democratic People's Republic of Korea or the Worker's Party of Korea, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, that the Central Government determines are associated with the Democratic People's Republic of Korea's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by the Resolutions .

Note 2: These measures are subject to the exemptions set out in paragraph 9 of Resolution 1718 (2006) and paragraph 32 of Resolution 2270 (2016);"

(ii) for sub-paragraph (e), the following shall be substituted, namely:-

"(e) prevent the entry into or transit through India of the persons listed in,

1. Part C of S/2009/364 (Appendix III to this Order);

2. Annex I of Resolution 2087 (2013);

3. Annex I of Resolution 2094 (2013);

4. Annex I of Resolution 2270 (2016);

5. Annex I of Resolution 2321 (2016);

6. Annex I of Resolution 2356 (2017);

7. Annex I of Resolution 2371 (2017);

8. Annex I of Resolution 2375 (2017); and

9. Annex I of Resolution 2397(2017),

as being responsible for, including through supporting or promoting, Democratic People's Republic of Korea policies in relation to the Democratic People's Republic of Korea's nuclear-related, ballistic missile-related and other weapons of mass destruction-related programmes, together with their family members, provided that

nothing contained above shall oblige the Central Government to refuse its own nationals entry into its territory.

Note: The travel ban measures are subject to the exemptions set out in paragraph 10 of Resolution 1718 (2006) and paragraph 10 of Resolution 2094 (2013)."

(iii) for sub-paragraph (g), the following shall be substituted, namely:-

"(g) prohibit its nationals, persons subject to its jurisdiction and entities incorporated in its territory or subject to its jurisdiction from providing insurance or re-insurance services to vessels it has reasonable grounds to believe were involved in activities, or the transport of items, prohibited by the Resolutions andthe said provisions would apply without exceptions, unless the Committee approves on a case by case basis for the purposes set out in paragraph 11 of Resolution 2397(2017);"

(iv) for sub-paragraph (q), the following shall be substituted, namely:-

"(q) prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of new helicopters and any new or used vessels, except as approved in advance by the Committee on a caseby-case basis;"

(v) for sub-paragraph (s), and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(s) de-register any vessel it has reasonable grounds to believe was involved in activities, or the transport of items, prohibited by the Resolutions; and prohibit its nationals, persons subject to its jurisdiction and entities incorporated in its territory or subject to its jurisdiction from thereafter providing classification services to such a vessel and further not to register any such vessel that has been de-registered by another Member State pursuant to this paragraph except as approved in advance by the Committee on a case by-case basis;"

(vi) for sub-paragraph (zk), the following shall be substituted, namely:-

"(zk) Prohibit the supply, sale or transfer to the DPRK, through its territories or by its nationals, or using its flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles, and whether or not originating in its territories, of all refined petroleum products provided this measure is subject to the limits, exceptions and procedures set out in paragraph 5 of Resolution 2397 (2017);"

(vii) for sub-paragraph (zl), the following shall be substituted, namely:-

"(zl) prohibit the supply, sale or transfer through its territories or by its nationals, or using its flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles and whether or not originating in its territories, of all crude oil to the Democratic People's Republic of Korea provided this measure is subject to the limits, exceptions and procedures set out in paragraph 4 of Resolution 2397 (2017);"

(viii) after sub-paragraph (zm), and the entry relating thereto, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(zn) seize, inspect, and freeze (impound) any vessel in its ports, and may seize, inspect, and freeze (impound) any vessel subject to its jurisdiction in its territorial waters, if it has reasonable grounds to believe that the vessel was involved in activities, or the transport of items, prohibited by the Resolutions provided this measure is subject to the procedure set out in paragraph 9 of resolution 2397(2017);

(zo) repatriate to the Democratic People's Republic of Korea all Democratic People's Republic of Korea nationals earning income in its jurisdiction and all Democratic People's Republic of Korea government safety oversight attachés monitoring Democratic People's Republic of Korea workers immediately but not later than twenty four months from the date of adoption of this resolution unless it determines that a Democratic People's Republic of Korea national is its national or a Democratic People's Republic of Korea national whose repatriation is prohibited, subject to applicable national and international law, including international refugee law and international human rights law, and the United Nations Headquarters Agreement and the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations;

(zp) prohibit the supply, sale or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, food and agricultural products (HS codes 12, 08, 07), machinery (HS code 84), electrical equipment (HS code 85), earth and stone including magnesite and magnesia (HS code 25), wood (HS code 44), and vessels (HS code 89) from the DPRK whether or not originating in the territory of the

DPRK provided with regard to written contracts finalised prior to the adoption of this resolution, the procedures set out in paragraph 6 of 2397(2017) would apply;

(zq) prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer to the Democratic People's Republic of Korea, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles and whether or not originating in their territories, of all industrial machinery (HS codes 84 and 85), transportation vehicles (HS codes 86 through 89), and iron, steel, and other metals (HS codes 72 through 83) however this provision shall not apply with respect to the provision of spare parts needed to maintain the safe operation of Democratic People's Republic of Korea commercial civilian passenger aircraft (currently consisting of the following aircraft models and types: An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B, and Tu-204-300);

(zr) prohibit the entry into its ports, vessels designated by the Committee, listed in Security Council Press Releases SC/13023 of 10 October 2017 and SC/13149 of 28 December 2017(Appendices VIII and IX of this Order) provided this measure is subject to the exemptions and procedures set out in paragraphs 6 of Resolutions 2371(2017) and 2375(2017)."

[F.No AE-I/102/11(A)/2018]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy. (D&ISA)

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1549 (E) dated the 15 May 2017 and amended vide S.O. 3495(E) dated the 31 October 2017.

"Schedule X

United Nations S/RES/2397 (2017)

Security Council Distr.: General

22 December 2017

Resolution 2397 (2017)

Adopted by the Security Council at its 8151st meeting, on 22 December 2017

The Security Council,

Recalling its previous relevant resolutions, including resolution 825 (1993), resolution 1695 (2006), resolution 1718 (2006), resolution 1874 (2009), resolution 1887 (2009), resolution 2087 (2013), resolution 2094 (2013), resolution 2270 (2016), resolution 2321 (2016), resolution 2356 (2017), resolution 2371 (2017), resolution 2375 (2017), as well as the statements of its President of 6 October 2006 (S/PRST/2006/41), 13 April 2009 (S/PRST/2009/7), 16 April 2012 (S/PRST/2012/13), and 29 August 2017 (S/PRST/2017/16),

Reaffirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,

Expressing its gravest concern at the ballistic missile launch by the Democratic People's Republic of Korea ("the DPRK") on 28 November 2017 in violation of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), and 2375 (2017) and at the challenge such a test constitutes to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons ("the NPT") and to international efforts aimed at strengthening the global regime of non-proliferation of nuclear weapons, and the danger it poses to peace and stability in the region and beyond,

Underlining once again the importance that the DPRK respond to other security and humanitarian concerns of the international community including the necessity of the DPRK respecting and ensuring the welfare, inherent dignity, and rights of people in the DPRK, and expressing great concern that the DPRK continues to develop nuclear weapons and ballistic missiles by diverting critically

needed resources away from the people in the DPRK at tremendous cost when they have great unmet needs,

Acknowledging that the proceeds of the DPRK's trade in sectoral goods, including but not limited to coal, iron, iron ore, lead, lead ore, textiles, seafood, gold, silver, rare earth minerals, and other prohibited metals, as well as the revenue generated from DPRK workers overseas, among others, contribute to the DPRK's nuclear weapons and ballistic missile programs,

Expressing its gravest concern that the DPRK's ongoing nuclear- and ballistic missile-related activities have destabilized the region and beyond, and determining that there continues to exist a clear threat to international peace and security

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, and taking measures under Article 41,

1. *Condemns* in the strongest terms the ballistic missile launch conducted by the DPRK on 28 November 2017 in violation and flagrant disregard of the Security Council's resolutions;

2. *Reaffirms* its decisions that the DPRK shall not conduct any further launches that use ballistic missile technology, nuclear tests, or any other provocation; shall immediately suspend all activities related to its ballistic missile program and in this context re-establish its pre-existing commitments to a moratorium on all missile launches; shall immediately abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs in a complete, verifiable and irreversible manner, and immediately cease all related activities; and shall abandon any other existing weapons of mass destruction and ballistic missile programs in a complete, verifiable and irreversible manner;

Designations

3. *Decides* that the measures specified in paragraph 8(d) of resolution 1718 (2006) shall apply also to the individuals and entities listed in Annex I and II of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and *decides* further that the measures specified in paragraph 8(e) of resolution 1718 (2006) shall also apply to the individuals listed in Annex I of this resolution and to individuals acting on their behalf or at their direction;

Sectoral

4. *Decides* that all Member States shall prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles and whether or not originating in their territories, of all crude oil, unless the Committee approves in advance on a case-by-case basis a shipment of crude oil which is exclusively for livelihood purposes of DPRK nationals and unrelated to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) or this resolution, further *decides* that this prohibition shall not apply with respect to crude oil that, for a period of twelve months after the date of adoption of this resolution, and for twelve months periods thereafter, does not exceed 4 million barrels or 525,000 tons in the aggregate per twelve month period, and *decides* that all Member States providing crude oil shall provide a report to the Committee every 90 days from the date of adoption of this resolution of the amount of crude oil provided to the DPRK;

5. *Decides* that all Member States shall prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles, and whether or not originating in their territories, of all refined petroleum products, *decides* that the DPRK shall not procure such products, *further decides* that this provision shall not apply with respect to procurement by the DPRK or the direct or indirect supply, sale, or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles, and whether or not originating in their territories, of refined petroleum products, including diesel and kerosene, in the aggregate amount of up to 500,000 barrels during a period of twelve months beginning on January 1, 2018, and for twelve month periods thereafter, provided that (a) the Member State notifies the Committee every thirty days of the amount of such supply, sale, or transfer to the DPRK of refined petroleum products along with information about all the parties to the transaction, (b) the supply, sale, or transfer of refined petroleum products involve no individuals or entities that are associated with the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution, including designated individ-

uals or entities, or individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, directly or indirectly, or individuals or entities assisting in the evasion of sanctions, and (c) the supply, sale, or transfer of refined petroleum products are exclusively for livelihood purposes of DPRK nationals and unrelated to generating revenue for the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) or this resolution, *directs* the Committee Secretary beginning on 1 January 2018 to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 75 per cent of the aggregate yearly amounts have been reached, also *directs* the Committee Secretary beginning on 1 January 2018 to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 90 per cent of the aggregate yearly amounts have been reached, and *further directs* the Committee Secretary beginning on 1 January 2018 to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 95 per cent of the aggregate yearly amounts have been reached and to inform them that they must immediately cease selling, supplying, or transferring refined petroleum products to the DPRK for the remainder of the year, *directs* the Committee to make publicly available on its website the total amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK by month and by source country, *directs* the Committee to update this information on a real-time basis as it receives notifications from Member States, *calls upon* all Member States to regularly review this website to comply with the annual limits for refined petroleum products established by this provision beginning on 1 January 2018, *directs* the Panel of Experts to closely monitor the implementation efforts of all Member States to provide assistance and ensure full and global compliance, and *requests* the Secretary-General to make the necessary arrangements to this effect and provide additional resources in this regard;

6. *Decides* that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, food and agricultural products (HS codes 12, 08, 07), machinery (HS code 84), electrical equipment (HS code 85), earth and stone including magnesite and magnesia (HS code 25), wood (HS code 44), and vessels (HS code 89), and that all States shall prohibit the procurement of the above-mentioned commodities and products from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the DPRK, *clarifies* that the full sectoral ban on seafood in paragraph 9 of resolution 2371 (2017) prohibits the DPRK from selling or transferring, directly or indirectly, fishing rights, and *further decides* that for sales of and transactions involving all commodities and products from the DPRK whose transfer, supply, or sale by the DPRK are prohibited by this paragraph and for which written contracts have been finalized prior to the adoption of this resolution, all States may only allow those shipments to be imported into their territories up to 30 days from the date of adoption of this resolution with notification provided to the Committee containing details on those imports by no later than 45 days after the date of adoption of this resolution;

7. *Decides* that all Member States shall prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles and whether or not originating in their territories, of all industrial machinery (HS codes 84 and 85), transportation vehicles (HS codes 86 through 89), and iron, steel, and other metals (HS codes 72 through 83) and *further decides* that this provision shall not apply with respect to the provision of spare parts needed to maintain the safe operation of DPRK commercial civilian passenger aircraft (currently consisting of the following aircraft models and types: An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B, and Tu-204-300);

8. *Expresses concern* that DPRK nationals continue to work in other States for the purpose of generating foreign export earnings that the DPRK uses to support its prohibited nuclear and ballistic missile programs despite the adoption of paragraph 17 of resolution 2375 (2017), *decides* that Member States shall repatriate to the DPRK all DPRK nationals earning income in that Member State's jurisdiction and all DPRK government safety oversight attachés monitoring DPRK workers abroad immediately but no later than 24 months from the date of adoption of this resolution unless the Member State determines that a DPRK national is a national of that Member State or a DPRK national whose repatriation is prohibited, subject to applicable national and international law, including international refugee law and international human rights law, and the United Nations Headquarters Agreement and the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, and *further decides* that all Member States shall provide a midterm report by 15 months from the date of adoption of this resolution of all DPRK nationals earning income in that Member State's jurisdiction that were repatriated over the 12 month period starting from the date of adoption of this resolution, including an

explanation of why less than half of such DPRK nationals were repatriated by the end of that 12 month period if applicable, and all Member States shall provide final reports by 27 months from the date of adoption of this resolution;

Maritime Interdiction of Cargo Vessels

9. *Notes with great concern* that the DPRK is illicitly exporting coal and other prohibited items through deceptive maritime practices and obtaining petroleum illegally through ship-to-ship transfers and *decides* that Member States shall seize, inspect, and freeze (impound) any vessel in their ports, and may seize, inspect, and freeze (impound) any vessel subject to its jurisdiction in its territorial waters, if the Member State has reasonable grounds to believe that the vessel was involved in activities, or the transport of items, prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371

(2017), 2375 (2017), or this resolution, *encourages* Member States to consult with the flag States of relevant vessels once they are seized, inspected, and frozen (impounded), and *further decides* that, after six months from the date such vessels were frozen (impounded), this provision shall not apply if the Committee decides, on a case-by-case basis and upon request of a flag State, that adequate arrangements have been made to prevent the vessel from contributing to future violations of these resolutions;

10. Decides that when a Member State has information to suspect that the DPRK is attempting to supply, sell, transfer or procure, directly or indirectly, illicit cargo, that Member State may request additional maritime and shipping information from other relevant Member States, including to determine whether the item, commodity, or product in question originated from the DPRK, further decides that all Member States receiving such inquiries shall respond as promptly as possible to such requests in an appropriate manner, decides that the Committee, with the support of its Panel of Experts, shall facilitate timely coordination of such information requests through an expedited process, and requests the Secretary-General to make the necessary arrangements to this effect and provide additional resources to the Committee and the Panel of Experts in this regard;

11. *Reaffirms* paragraph 22 of resolution 2321 (2016) and *decides* that each Member State shall prohibit its nationals, persons subject to its jurisdiction and entities incorporated in its territory or subject to its jurisdiction from providing insurance or re-insurance services to vessels it has reasonable grounds to believe were involved in activities, or the transport of items, prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution, unless the Committee determines on a case-by-case basis that the vessel is engaged in activities exclusively for livelihood purposes which will not be used by DPRK individuals or entities to generate revenue or exclusively for humanitarian purposes;

12. *Reaffirms* paragraph 24 of resolution 2321 (2016) and *decides* that each Member State shall de-register any vessel it has reasonable grounds to believe was involved in activities, or the transport of items, prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution and prohibit its nationals, persons subject to its jurisdiction and entities incorporated in its territory or subject to its jurisdiction from thereafter providing classification services to such a vessel except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis, and *further decides* that Member States shall not register any such vessel that has been de-registered by another Member State pursuant to this paragraph except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis;

13. *Expresses concern* that DPRK-flagged, controlled, chartered, or operated vessels intentionally disregard requirements to operate their automatic identification systems (AIS) to evade UNSCR sanctions monitoring by turning off such systems to mask their full movement history and *calls upon* Member States to exercise enhanced vigilance with regards to such vessels conducting activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution;

14. *Recalls* paragraph 30 of resolution 2321 (2016) and *decides* that all Member States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of any new or used vessels, except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis;

15. *Decides* that, if a Member State has information regarding the number, name, and registry of vessels encountered in its territory or on the high seas that are designated by the Security Council or by the Committee as subject to the asset freeze imposed by paragraph 8(d) of resolution 1718 (2006), the various measures imposed by paragraph 12 of resolution 2321 (2016), the port entry ban imposed by paragraph 6 of resolution 2371 (2017), or relevant measures in this resolution, then the Member State shall notify the Committee of this information and what measures were taken to carry out an inspection, an asset freeze and impoundment or other appropriate action as authorized by the relevant provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution;

16. *Decides* that the provisions of this resolution shall not apply with respect solely to the trans-shipment of Russia-origin coal to other countries through the Russia-DPRK Rajin-Khasan port and rail project, as permitted by paragraph 8 of resolution 2371 (2017) and paragraph 18 of resolution 2375 (2017);

Sanctions Implementation

17. *Decides* that Member States shall report to the Security Council within ninety days of the adoption of this resolution, and thereafter upon request by the Committee, on concrete measures they have taken in order to implement effectively the provisions of this resolution, *requests* the Panel of Experts, in cooperation with other UN sanctions monitoring groups, to continue its efforts to assist Member States in preparing and submitting such reports in a timely manner;

18. *Calls upon* all Member States to redouble efforts to implement in full the measures in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) and this resolution and to cooperate with each other in doing so, particularly with respect to inspecting, detecting and seizing items the transfer of which is prohibited by these resolutions;

19. *Decides* that the mandate of the Committee, as set out in paragraph 12 of resolution 1718 (2006), shall apply with respect to the measures imposed in this resolution and *further decides* that the mandate of the Panel of Experts, as specified in paragraph 26 of resolution 1874 (2009) and modified in paragraph 1 of resolution 2345 (2017), shall also apply with respect to the measures imposed in this resolution;

20. *Decides* to authorize all Member States to, and that all Member States shall, seize and dispose (such as through destruction, rendering inoperable or unusable, storage, or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) of items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) or this resolution that are identified in inspections, in a manner that is not inconsistent with their obligations under applicable Security Council resolutions, including resolution 1540 (2004), as well as any obligations of parties to the NPT, the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Development of 29 April 1997, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction of 10 April 1972;

21. *Emphasizes* the importance of all States, including the DPRK, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the DPRK, or of any person or entity in the DPRK, or of persons or entities designated for measures set forth in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) or this resolution, or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by this resolution or previous resolutions;

22. *Emphasizes* that the measures set forth in resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371(2017), 2375 (2017) and this resolution shall in no way impede the activities of diplomatic or consular missions in the DPRK pursuant to the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations;

Political

23. *Reiterates* its deep concern at the grave hardship that the people in the DPRK are subjected to, *condemns* the DPRK for pursuing nuclear weapons and ballistic missiles instead of the welfare of its people while people in the DPRK have great unmet needs, *emphasizes* the necessity of the DPRK respecting and ensuring the welfare and inherent dignity of people in the DPRK, and *demands* that the DPRK stop diverting its scarce

resources toward its development of nuclear weapons and ballistic missiles at the cost of the people in the DPRK;

24. *Regrets* the DPRK's massive diversion of its scarce resources toward its development of nuclear weapons and a number of expensive ballistic missile programs, *notes* the findings of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Assistance that well over half of the people in the DPRK suffer from major insecurities in food and medical care, including a very large number of pregnant and lactating women and under-five children who are at risk of malnutrition and 41% of its total population who are undernourished, and, in this context, *expresses* deep concern at the grave hardship to which the people in the DPRK are subjected;

25. *Reaffirms* that the measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) and this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK or to affect negatively or restrict those activities, including economic activities and cooperation, food aid and humanitarian assistance, that are not prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) and this resolution, and the work of international and non-governmental organizations carrying out assistance and relief activities in the DPRK for the benefit of the civilian population of the DPRK, *stresses* the DPRK's primary responsibility and need to fully provide for the livelihood needs of people in the DPRK, and *decides* that the Committee may, on a case-by-case basis, exempt any activity from the measures imposed by these resolutions if the committee determines that such an exemption is necessary to facilitate the work of such organizations in the DPRK or for any other purpose consistent with the objectives of these resolutions;

26. *Reaffirms* its support for the Six Party Talks, *calls* for their resumption, and *reiterates* its support for the commitments set forth in the Joint Statement of 19 September 2005 issued by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation, and the United States, including that the goal of the Six-Party Talks is the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner and the return of the DPRK to the Non-proliferation Treaty (NPT) and International Atomic Energy Agency safeguards at an early date, bearing in mind the rights and obligations of States parties to the NPT and underlining the need for all States parties to the NPT to continue to comply with their Treaty obligations, that the United States and the DPRK undertook to respect each other's sovereignty and exist peacefully together, that the Six Parties undertook to promote economic cooperation, and all other relevant commitments;

27. *Reiterates* the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia at large, and *expresses* its commitment to a peaceful, diplomatic, and political solution to the situation and welcomes efforts by the Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and stresses the importance of working to reduce tensions in the Korean Peninsula and beyond;

28. *Affirms* that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or lift the measures as may be needed in light of the DPRK's compliance, and, in this regard, *expresses its determination* to take further significant measures in the event of a further DPRK nuclear test or launch, and *decides* that, if the DPRK conducts a further nuclear test or a launch of a ballistic missile system capable of reaching intercontinental ranges or contributing to the development of a ballistic missile system capable of such ranges, then the Security Council will take action to restrict further the export to the DPRK of petroleum;

29. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex I

Travel Ban/Asset Freeze (Individuals)

1. CH'OE SO'K MIN

   a. Description: Ch'oe So'k-min is an overseas Foreign Trade Bank representative. In 2016, Ch'oe So'k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location. He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions.

b. AKA: n/a

c. Identifiers: DOB: 25 July 1978; Nationality: DPRK; Gender: male

2. CHU HYO'K

a. Description: Chu Hyo'k is a North Korean national who is an overseas Foreign Trade Bank representative.

b. AKA: Ju Hyok

c. Identifiers: DOB: 23 November 1986; Passport No. 836420186 issued 28 October 2016 expires 28 October 2021; Nationality: DPRK; Gender: male

3. KIM JONG SIK

a. *Description:* A leading official guiding the DPRK's WMD development efforts. Serving as Deputy Director of the Workers' Party of Korea Munitions Industry Department.

b. *A.K.A.*: Kim Cho'ng-sik

c. *Identifiers:* YOB: between 1967 and 1969; Nationality: DPRK; Gender: male;

Address: DPRK

4. KIM KYONG IL

a. Description: Kim Kyong Il is a Foreign Trade Bank deputy chief representative in Libya.

b. AKA: Kim Kyo'ng-il

c. Identifiers: Location Libya; DOB: 01 August 1979; Passport No. 836210029;

Nationality: DPRK; Gender: male

5. KIM TONG CHOL

a. Description: Kim Tong Chol is an overseas Foreign Trade Bank representative.

b. AKA: Kim Tong-ch'o'l

c. Identifiers: DOB: 28 January 1966; Nationality: DPRK; Gender: male

6. KO CHOL MAN

a. Description: Ko Chol Man is an overseas Foreign Trade Bank representative.

b. AKA: Ko Ch'o'l-man

c. Identifiers: DOB: 30 September 1967; Passport No. 472420180; Nationality: DPRK; Gender: male

7. KU JA HYONG

a. Description: Ku Ja Hyong is a Foreign Trade Bank chief representative in Libya.

b. AKA: Ku Cha-hyo'ng

c. Identifiers: Location Libya; DOB: 08 September 1957; Nationality: DPRK;

Gender: male

8. MUN KYONG HWAN

a. Description: Mun Kyong Hwan is an overseas Bank of East Land representative.

b. AKA: Mun Kyo'ng-hwan

c. Identifiers: DOB: 22 August 1967; Passport No. 381120660 expires 25 March 2016;

Nationality: DPRK; Gender: male

9. PAE WON UK

a. Description: Pae Won Uk is an overseas Daesong Bank representative.

b. AKA: Pae Wo'n-uk

c. Identifiers: DOB: 22 August 1969; Nationality: DPRK; Gender: male; Passport No. 472120208 expires 22 Feb 2017

10. PAK BONG NAM
  a. Description: Pak Bong Nam is an overseas Ilsim International Bank representative.
  b. AKA: Lui Wai Ming; Pak Pong Nam; Pak Pong-nam
  c. Identifiers: DOB: 06 May 1969; Nationality: DPRK; Gender: male
11. PAK MUN IL
  a. Description: Pak Mun Il is an overseas official of Korea Daesong Bank.
  b. AKA: Pak Mun-il
  c. Identifiers: DOB 01 January 1965; Passport No. 563335509 expires 27 August 2018; Nationality: DPRK; Gender: male
12. RI CHUN HWAN
  a. Description: Ri Chun Hwan is an overseas Foreign Trade Bank representative.
  b. AKA: Ri Ch'un-hwan
  c. Identifiers: DOB 21 August 1957; Passport No. 563233049 expires 09 May 2018; Nationality: DPRK; Gender: male
13. RI CHUN SONG
  a. Description: Ri Chun Song is an overseas Foreign Trade Bank representative.
  b. AKA: Ri Ch'un-so'ng
  c. Identifiers: DOB: 30 October 1965; Passport No. 654133553 expires 11 March 2019; Nationality: DPRK; Gender: male
14. RI PYONG CHUL
  a. *Description:* Alternate Member of the Political Bureau of the Workers' Party of Korea and First Vice Director of the Munitions Industry Department.
  b. *A.K.A.*: Ri Pyo'ng-ch'o'l
  c. *Identifiers:* YOB: 1948; Nationality: DPRK; Gender: male; Address: DPRK
15. RI SONG HYOK
  a. Description: Ri Song Hyok is an overseas representative for Koryo Bank and Koryo Credit Development Bank and has reportedly established front companies to procure items and conduct financial transactions on behalf of North Korea.
  b. AKA: Li Cheng He
  c. Identifiers: DOB: 19 March 1965; Nationality: DPRK; Gender: male
16. RI U'N SO'NG
  a. Description: Ri U'n-so'ng is an overseas Korea Unification Development Bank representative.
  b. AKA: Ri Eun Song; Ri Un Song
  c. Identifiers: DOB: 23 July 1969; Nationality: DPRK; Gender: male

Annex II

Asset Freeze (Entities)

1. MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES (MPAF)
  a. *Description*: The Ministry of the People's Armed Forces manages the general administrative and logistical needs of the Korean People's Army.
  b. *Location*: Pyongyang, DPRK"

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.03.08 15:02:19 +05'30'